-1-

# समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ......./.............../...........................

**विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।**

<u>पक्षकार</u> :- राजेश कुमार परस्ते उम्र 34 वर्ष पिता श्री लाल सिंह परस्ते निवासी ग्राम कोहला तहसील शहपुरा जिला जबलपुर।

<u>विरूद्ध</u>

<u>अनोवदक</u> :- 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. मो.अशरफ राईन उम्र 38 वर्ष पिता स्व.मो.जलील राईन निवासी 1190, नया मोहल्ला,तहसील व जिला जबलपुर।

**<u>पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्</u>**

1- मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 17/अ-21/2016-17 में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 21/11/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री राजेश कुमार परस्ते उम्र 34 वर्ष पिता श्री लाल सिंह परस्ते निवासी ग्राम कोहला तहसील शहपुरा जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **इमझर** प. ह.नं. 67 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 336, 340, 488, 489, 497 रकवा क्रमशः 0.34, 0.12, 2.84,1.10, 0.52हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी मो.अशरफ राईन उम्र 38 वर्ष पिता स्व.मो.जलील राईन निवासी 1190, नया मोहल्ला,तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22/10/2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- आवेदक का पैतृक निवास ग्राम कोहला में है, पारिवारिक विभाजन के पश्चात् परिवार का उत्तरदायित्व आवेदक के ऊपर है आवेदक के परिवार में बच्चे छोटे हैं एवं स्कूल जाते हैं आवेदक अकेले ही प्रश्नाधीन भूमि की देखभाल करता है। विक्रय की जाने वाली भूमि असिंचित व पथरीली है। आवेदक ने अनेकों बार अथक परीश्रम कर कृषि करने का प्रयास किया परन्तु कृषि में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर कृषि करने में असफल रहने पर अजीविका चलाने हेतु कर्ज लेकर ग्राम सालीवाड़ा में 3.20हेक्टेयर एवं ग्राम भिड़की में 0.75 हेक्टेयर भूमि क्रय कर कृषि कार्य कर अपना परिवार का गुजर बसर कर रहा है।

XXXIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 59–एक/17 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6-1-17 | यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21–11–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विकय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 21–11–16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।<br>3– प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें आवेदक राजेश कुमार परस्ते द्वारा ग्राम झरझर प.ह.नं. 67 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि ख0नं. 336, 340, 488, 489 | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | एवं 497 रकबा कमशः 0.34, 0.12, 2.84, 1.10 एवं 0.52 हैक्टर गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक कमांक 2 को विकय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त ग्राम भिड़की, सालीवाड़ा एवं ग्राम कोहला में कुल 4.75 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में आवेदक को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विकय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को ग्राम झरझर प.ह.नं. 67 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि ख0 नं. 336, 340, 488, 489 एवं 497 रकबा कमशः 0.34, 0.12, 2.84, 1.10 एवं 0.52 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।<br>1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । | |

XXXIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 59–एक/17 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | 2— केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।<br>निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।<br>(एम0के0 सिंह)<br>सदस्य,<br>राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश<br>ग्वालियर | |